आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 02 of 2022

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sh. Vivek Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sh. Mritunjay Kumar Verma - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : Sh. Mukesh Kumar, Advocate.
For the Respondent : Sh. Jai Kumar Jalaj, Section Officer, GAD

आदेश

04.08.2023

यह सेवा अपील अभ्यावेदन श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) सम्प्रति सहायक, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 16/आ0–02–04/2019 सा0प्र0–12593 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर किया गया है।

श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा, सहायक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 1918 दिनांक– 03.05.2019 द्वारा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति सूची में छेड़–छाड़ करने से संबंधित कुल चार आरोप प्रतिवेदित किये गये है :–

(i). श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय में कार्यरत/सेवानिवृत/मृत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी वर्ग–3 के कर्मियों को उनके 12 एवं 24 वर्ष सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति/संशोधन हेतु दिनांक– 28.07.2017 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया। दिनांक 28.07.2017 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में कुल 200 कार्यरत/सेवानिवृत/मृत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप उपस्थापित करने के क्रम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

में श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा, सहायक द्वारा उपलब्ध अभिलेखों से छेड–छाड़ कर 200 के स्थान पर 262 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव/प्रारुप उपस्थापित किया गया। इसके आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं–08–साह पठित ज्ञापांक–7756 दिनांक 11.12.2017 द्वारा 262 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के संबंध में आदेश निर्गत हुआ।

(ii). विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक– 28.07.2017 को 200 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की सूची में कंडिका– 42 पर अंकित श्री अजय कुमार, वरीयता क्रमांक–72 पर विचार किया गया था परन्तु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–08–साह पठित ज्ञापांक–7756 दिनांक 11.12.2017 द्वारा 262 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के संबंध में निर्गत आदेश में श्री कुमार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार चौधरी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम जोड़ा गया।

(iii). विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अनुशंसित कुल 200 कार्यरत/ सेवानिवृत/ मृत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार द्वारा उक्त के अनुरुप श्रमायुक्त की टिप्पणी देने हेतु निदेश सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया था ताकि प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके, परन्तु श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा, सहायक द्वारा उक्त टंकित टिप्पणी में भी 262 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की संख्या का उल्लेख करते हुए गुमराह कर प्रस्ताव पर श्रमायुक्त का हस्ताक्षर करा लिया गया, चूँकि आदेश प्रारुप श्री वर्मा, सहायक एवं श्री तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित था, अतएव आदेश ज्ञापांक– 7756 दिनांक– 11.12.2017 में भी हस्ताक्षर करा लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूची पूर्व में किसी अन्य एजेंडा हेतु हस्ताक्षर किया हुआ था जो इस आदेश के साथ लगा दिया गया। चूँकि अंतिम पृष्ठ पर भी श्रमायुक्त द्वारा दिनांक अंकित नहीं है, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो रहा है कि श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा, सहायक द्वारा दिनांक– 20.11.2017 द्वारा हस्ताक्षरित है लेकिन श्रमायुक्त द्वारा तिथि अंकित नहीं किया गया है एवं न ही पदनाम का कोई कॉलम है। यह सूची प्रथम द्रष्टया Manipulated प्रतीत होती है। यह किसी भी सरकारी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम आचरण का मामला है। सरकार में कार्य आपसी टीम भावना एवं परस्पर विश्वास से होता है। यदि विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रत्येक संचिका को शंका/संदेह की दृष्टि से देखें तो नगण्य संचिकाओं का निष्पादन होगा। यह स्थापित प्रक्रिया है कि किसी भी कर्मी/पदाधिकारी को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने का मूल आधार स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा है, इससे अलग किसी प्रकार का आदेश नियम विरूद्ध है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

(iv). दिनांक– 28.07.2017 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में 200 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति/संशोधन प्रस्ताव पर सहमति/अनुशंसा प्रदान की गयी थी। उक्त अनुशंसा के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा, निर्गत संकल्पों/परिपत्रों की अनदेखी कर 98 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन (एम.ए.सी.पी.) का लाभ (ग्रेड पे–7600/–) देते हुए विभागीय आदेश संख्या–08 सहपठित ज्ञापांक–7756 दिनांक 11.12.2017 द्वारा 262 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के साथ सम्मिलित रूप से आदेश निर्गत कराया गया, जो नियम संगत नहीं था। आदेश निर्गत के उपरांत जब मामला प्रकाश में आया तो श्रमायुक्त, बिहार द्वारा का0आ0सं0–05 सहपठित ज्ञापांक–939 दिनांक– 16.02.2018 द्वारा उक्त कंडिका–09 को विलोपित किया गया। इससे स्पष्ट है पूर्व से ही श्री वर्मा, सहायक की मंशा संदेहास्पद रहा है जो व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की ओर इंगित करता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापांक सं0–7892 दिनांक 12.06.2019 द्वारा आरोपी श्री वर्मा को उपलब्ध कराया गया एवं उनसे इस संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदनुसार श्री वर्मा का बचाव अभिकथन दिनांक 10.07.2019 को प्राप्त हुआ। जिसमें श्री वर्मा द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया।

श्री वर्मा द्वारा लिखित बचाव अभिकथन में कंडिकावार निम्नानुसार उल्लेख किया गया है कि:–

(i). श्रम संसाधन विभाग द्वारा 200 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के विभागीय ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी के उन्नयन हेतु दिनांक 28.07.2017 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई थी, जबकि उनका पदस्थापन इस प्रशाखा एवं विभाग में माह सितंबर, 2017 में हुआ था। श्रम संसाधन विभाग में 200 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को अन्य बैठकों के स्क्रीनिंग समितियों में विभागीय ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जा चुकी थी। विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं लोकायुक्त के आदेश से आच्छादित सभी मामलों को उनके द्वारा संकलित किये जाने एवं तदोपरांत श्रमायुक्त से प्राप्त निदेश के आलोक में विभाग में लंबित सभी 262 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों जिनके ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति विगत बैठकों में दी जा चुकी थी, अपने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बिहार स्टेट लिटीगेशन पॉलिसी 2011 के अनुसार भी समरूप मामलों को निष्पादित किये जाने का निदेश है, जिससे न्यायालय में एक ही

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 3

प्रकार के मामलों की सुनवाई में अतिरिक्त समय नष्ट न हो इस संबंध में बिहार स्टेट लिटीगेशन पॉलिसी की कंडिका 4C में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"A good number of cases are from the category of similar cases. Each Government Department will aim to consider and settle the claim of the representationist/ applicant employee/ citizen, if the claim is found covered by any decision of the Court. Many service matters of this nature, can be disposed of at the level of the Department itself without Compelling the litigant to come to the Court. In this manner, the Government Departments would be acting as efficient litigants"

श्री वर्मा द्वारा उल्लेख किया गया है कि जो भी प्रस्ताव उनके द्वारा उपस्थापित किया गया था उसमें श्रमायुक्त एवं वरीय पदाधिकारियों की सहमति प्राप्त थी यदि वह उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं होते तो उस कंडिका को विलोपित कर देते, परन्तु वरीय पदाधिकारी जो अंतिम निर्णय के लिए सक्षम पदाधिकारी होते है, उनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इस मामले में बिहार सी0सी0ए0 रूल, 2005 के सब रूल 17(14) का अनुपालन नहीं करते हुए उनके ऊपर प्रतिवेदित आरोप के संबंध में एक भी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार श्री वर्मा द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–12593 दिनांक 26.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोप–1 को गलत बताया।

(ii). सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–12593 दिनांक 26.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोप–2 के संबंध में श्री वर्मा द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनका पदस्थापन संबंधित प्रशाखा में सितंबर, 2017 में किया गया जबकि विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 को सम्पन्न हुई। इस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगाना की विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सूची में श्री अजय कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नाम के विलोपन के उपरांत श्री दिलीप कुमार का नाम लाया गया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में पुनः उल्लेख किया है कि श्री चौधरी का नाम इस सूची में वरीयता क्रमांक–70 पर पूर्व से ही अंकित था जबकि मो0 सोहेल अहमद का नाम सूची के क्रमांक–43 पर अंकित था। अतः वर्णित स्थिति में उनके द्वारा सूची में किसी नये व्यक्ति का नाम शामिल करने से असहमति जतायी गई है।

(iii). श्री वर्मा द्वारा उल्लेख किया गया है कि आरोप संख्या–3 का संबंध आरोप–1 से ही है, जिसमें यथा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि उनके द्वारा वैसे सभी मामलें को समेकित रूप से उपस्थापित किया गया, जिसमें पूर्व की बैठकों में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जा चुकी थी। उनके द्वारा कार्यहित में सभी लंबित मामलों को एक साथ उपस्थापित किया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

(iv). श्री वर्मा द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदित आरोप संख्या–4 भी आरोप–1 से ही संबंधित है जिसमें उनके द्वारा वैसे सभी मामलें को सामेकित रूप से उपस्थापित किया गया है, जिसमें पूर्व की बैठकों में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जा चुकी थी। यदि उपस्थापित प्रस्ताव में किसी प्रकार की कमी थी तो वरीय पदाधिकारियों द्वारा इस पर असहमति भी जताया जा सकता था, साथ ही इस प्रस्ताव के आलोक में निर्गत आदेश आज तक रद्द नहीं किया गया जिससे विभाग का प्रयोजन अभी भी स्पष्ट नहीं है।

उपर्युक्त स्थिति में श्री वर्मा द्वारा अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सक्षम पदाधिकारी का होता है एवं प्रश्नगत मामले में भी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही निर्णय लिया गया है तथा इस निर्णय के उपरांत निर्गत आदेश को आज तक रद्द नहीं किया गया है, इन्ही तथ्यों के साथ उन्होंने प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। श्रम संसाधन विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी श्री मृत्युंजय कुमार वर्मा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत/सेवा निवृत/मृत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन हेतु दिनांक 28.07.2017 को आहूत बैठक में कुल 200 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को योजना का लाभ दिए जाने की अनुशंसा की गई थी, जबकि श्री वर्मा द्वारा 262 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को योजना का लाभ दिए जाने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किए जाने का आरोप प्रतिवेदित है। इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की सूची में हेर–फेर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की गलत संख्या का उल्लेख करते हुए गुमराह कर प्रस्ताव पर श्रमायुक्त का हस्ताक्षर कराने तथा दिनांक 28.07.2017 को आहूत बैठक में 200 पदाधिकारियों हेतु स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वृति उन्नयन योजना के विरुद्ध 98 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) योजना का लाभ दिए जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप को प्रमाणित पाते हुए श्री वर्मा की दो वेतन वृद्धियाँ संचायत्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने की शास्ति अधिरोपित किया गया हैं।

अपीलार्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12593 दिनांक 26.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए सुनवाई के क्रम में एवं न्यायालय को उपलब्ध कराए लिखित अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त निदेश के आलोक में इस प्रकार के सभी लंबित मामलों को समेकित रूप से उपस्थापित किया गया, जिसके लिए पूर्व से ही उनकी सहमति थी। यदि इस प्रस्ताव से पदाधिकारी सहमत नहीं होते तो उनके द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए उस कंडिका को विलोपित किया जा सकता था। परन्तु कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

से सहमति जताते हुए प्रस्ताव के आलोक में उपरथापित प्रारूप को अनुमोदित किया गया, जबकि कार्यालय द्वारा संचिकाओं पर अंतिम निर्णय कई स्तरों को पार करते हुए कार्यालय प्रधान द्वारा लिया जाता है।

आरोपित कर्मी द्वारा अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क एवं साक्ष्य कमोवेश विभागीय कार्यवाही में विचारित किए गए थे। सभी आरोपों के गुण–दोष का विश्लेषण करते हुए ही संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सभी चार आरोप प्रमाणित पाए गए। तदोपरांत इस अपील के सुनवाई के क्रम में भी जो विभागीय अभिमत प्राप्त हुए, वह अपीलार्थी के विरुद्ध गठित आरोपों एवं जाँच पदाधिकारी के अधिगम की पुष्टि करता है। वर्णित स्थिति में पूर्व के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।